न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

ल संख्या : 15/502

अंगूरी देवी पत्नी श्री महाराज सिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम कैलाशपुरी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

----अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय हिण्डोली जिला बून्दी ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री प्रेमशंकर गुर्जर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 23.05.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.07.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89, 188 एवं 92ए के अन्तर्गत ग्राम धनपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी की आराजी खसरा नम्बर 10 रकबा 04 बीघा, खसरा नम्बर 13 रकबा 10 बिस्वा कुल 02 किता की कुल रकबा 04 बीघा 10 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त भूमि पर वादिनी पिछले 35 वर्षो से काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है और वह उक्त भूमि पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की अधिकारी हो गयी है ।

3. अतः वादिनी का वाद स्वीकार किया जाकर वादिनी को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किया जावे एंव विकल्प में उक्त भूमि का वादिनी के पक्ष में नियमन किया जावे ।

अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.07.2015 के द्वारा वादिनी का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.07.2015 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादिनी ने न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में रखने हेतु अपीलान्ट को सूचित नहीं किया जिससे अपीलान्ट को उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी थी । उक्त निर्णय एंव डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 04.08.2015 को हुई जिस पर उक्त निर्णय एंव डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर वादिनी अपीलान्ट का पिछले 35 वर्षो से भी अधिक समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है और वह उक्त भूमि पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की अधिकारी हो चुकी है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया जबकि राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हों और सहमति के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करवाना चाहते हों परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान सहमत नहीं थे । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी राजकीय सिवायचक भूमि है जिस पर किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं किये जा सकते । उक्त भूमि पर अपीलान्ट का यदि कब्जा भी मान लिया जावे तो वह एक अतिक्रमी की हैसियत से है जिससे उसे किसी प्रकार के कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.07.2015 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

प्रस्तुत प्रकरण में वादिनी अपीलान्ट ने जिस भूमि पर खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा है वह भूमि सिवायचक राजकीय भूमि है जिस पर किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं किये जा सकते । यदि उक्त भूमि पर वादिनी अपीलान्ट का कब्जा भी मान लिया जाता है तो वह एक अतिक्रमी की हैसियत से है जिससे वह बेदखली की अधिकारी है ।

12. हमने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायहित में उचित नहीं समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 08.07.2015 बहाल रखा जाता है ।

14. निर्णय आज दिनांक 23.05.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास पंकज कुमार ओझा, आर.ए.एस.

पील संख्या : 15 / 502

अंगूरी देवी पत्नी श्री महाराज सिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम कैलाशपुरी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

—अपीलाथी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय हिण्डोली जिला बून्दी ।

—प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.07.2015 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी ।

अन्तर्गत वाद संख्याः 85 / दावा / 2014

अंगूरी देवी पत्नी श्री महाराज सिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम कैलाशपुरी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

—वादी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय हिण्डोली जिला बून्दी ।

—प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

[...]त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी के [नि]र्णय एवं डिक्री दिनांक 08.07.2015 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात... कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 23.05.2018 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री प्रेमशंकर गुर्जर एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 08.07.2015 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है

यह डिक्री आज तारीख 23.05.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा